

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28, 65 तथा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“24. शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2.	नैसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के संबंध में	50.00
3.	चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में (प्रारूप-06 में) (प्रारूप-07 में)	150.00 200.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रतिप्रदाय किये जाने के संबंध में— (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	100.00 150.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में— (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	100.00 150.00

2. नियम 62, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“62 फीस— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	अस्थायी पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी पंजीकरण चिन्ह समनुदेशन— (डी) अशक्त यान	10.00

1776

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

[भाग 1]

(1)	(2)	(3)
(ई) मोटरसाईकल या मोटर साईकल-रिक्शा		100.00
(एफ) हल्का मोटरयान		
(1) निजी		200.00
(2) परिवहन		400.00
(डी) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हों		250.00
2. अपील		150.00
3. विनिश्चय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति		
(एक) सामान्य		100.00
(दो) अत्यावश्यक		150.00
4. रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये		100.00
5. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए—		
(एक) हल्का मोटरयान—		
(3) गैर-परिवहन यान		200.00
(4) परिवहन यान		400.00
(दो) मध्यम माल मोटरयान, मध्यम-यात्री मोटर वाहन		450.00
(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान		500.00

नियम 145 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"145 शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी —

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके प्रतिदस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
3.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
4.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र के प्रतिदस्ताक्षर स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
	प्रायवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
	मोटर-कैब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00

-25-

(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

1777

(2)	(3)
मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
मालयान के अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मालयान के अनुज्ञा-पत्र दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
पर्यटक यान (ओमनो बस) अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
अखिल भारतीय पर्यटक टेक्सी-केब अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मोटर-केब से भिन्न परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में—	
(क) धारा-87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए	300.00
(ख) धारा-87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
(ग) धारा-87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	200.00
मोटरयान अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
(डी) 07 दिवस तक के लिए	500.00
(ई) 07 दिवस से अधिक 15 दिवस तक के लिए	1,000.00
(एफ) 15 दिवस से अधिक	1,500.00
मंजिली गाड़ी/टेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र में क्षेत्र या मार्गों का विस्तारण या उसमें फेरफार करने या प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	1,500.00
मंजिली गाड़ी/आसक्ति मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	1,500.00
अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में	
(क) मोटर-केब के लिए	500.00
(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	1,000.00
चार मास के अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00
प्रक्रम या संविदा अनुज्ञा-पत्र में किसी यान के प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब के प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में	750.00
अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00

-27-

(4)

1778

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

[भाग 1

(1)	(2)	(3)
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
25.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में—	
(ए)	निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु—	
(क)	राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
(ख)	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
(बी)	निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में	
(क)	राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
(ख)	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
26.	स्पर्शन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस ब्यक्ति अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है	200.00
27.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
(सी)	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—	
(एक)	सामान्य—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 50.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 15.00
(दो)	अतिआवश्यक—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 30.00
(डी)	अपील अधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिए—	
(एक)	सामान्य—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 30.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 10.00
(दो)	अतिआवश्यक—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 20.00
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में	10.00

- टीप :- 1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में शुल्क का संदाय यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की न्यायिक स्टाम्प चिपका कर किया जा सकेगा।
2. इस नियम के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई भी संशोधन नहीं होगा यदि आवेदनकर्ता निम्नलिखित बातों का पालन करता है—

5

1779

भाग 1]

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

ट्रेक्टर-अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में किया गया है।

Raipur, the 31st May 2008

No. 467/Tech-506/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by section 28, 65 and 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motorvan Niyam, 1994, the same having been previously published as required by the sub-section (1) of section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

the said rules:—

For Rule 24, the following shall be substituted, namely:—

24 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the table below:—

TABLE

No.	Purpose	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
2.	In respect of duplicate Learner's License	50.00
3.	In respect issue of duplicate Driving License— (In form No. 6)	150.00
	(In form No. 7)	200.00
	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle	200.00
	In respect an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
	In respect of supplying a copy of the decision of the licensing Authority— (One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority— (One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00

1780

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

[भाग 1

2. For Rule 62, the following shall be substituted, namely :—

“62 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignement of temporary registration mark—	
	(D) Invalid Carriage	10.00
	(E) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw	100.00
	(F) Light Motor Vehicle	
	(1) Private	200.00
	(2) Transport	400.00
	(D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	250.00
2.	Appeal	150.00
3.	Certified copy of the decision/document	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
4.	Issue of particulars of registration	100.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness	
	(One) Light Motor Vehicle	
	3. Non Transport Vehicle	200.00
	4. Transport Vehicle	400.00
	(Two) Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle	450.00
	(Three) Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle	500.00

3. For Rule 145, the following shall be substituted, namely :—

“145 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve Stage carriage permit.	1,500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
3.	In respect of application for grant or renewal of contract carriage permit	1,500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1,500.00

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 जून 2008

1781

भाग 1.]

(1)	(2)	(3)
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit.	1,500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1,000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1,000.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of goods carriage permit	1,500.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of goods carriage permit.	1,500.00
10.	In respect of an application for grant/renewal of a national permit for goods carriage.	1,500.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit.	2,000.00
12.	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit.	1,500.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab—	
	(D) Under Section 87 (1) (A) for Passenger Vehicle	300.00
	(E) Under Section 87 (1) (B) for Passenger Vehicle	750.00
	(F) Under Section 87 (1) (C) for Passenger Vehicle	750.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	200.00
15.	In respect of an application for a Special Permit U/s 88(8) of the Motor Vehicle Act.	
	(d) For the period up to 07 days	500.00
	(e) For the period exceeding 07 days up to 15 days	1,000.00
	(f) For the period exceeding 15 days	1,500.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a Permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit.	1,500.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve Stage Carriage permit.	1,500.00
8.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit	
	(C) For Motor Cab	500.00
	(D) Any other Transport Vehicle	1,000.00
9.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month.	750.00
3.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit.	750.00
1.	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	750.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	250.00
24.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00
25.	In respect of Appeal or Revision	
(3)	Memorandum of appeal against the order of the following—	
(A)	State Transport Authority	500.00
(B)	Regional Transport Authority	500.00
(3)	In respect of an application for revision against the order of the following—	
(A)	State Transport Authority	500.00
(B)	Regional Transport Authority	500.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/ application for revision.	200.00
27.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority, and Regional Transport Authority—	
(A)	For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
(i)	Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 15.00 for each subsequent page.
(ii)	Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 30.00 for each subsequent page.
(B)	Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
(i)	Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.
(ii)	Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authorities.	10.00

Note :—1. Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27, and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.

2. No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of this rule, if the application is presented by a bonafied agriculturist for Tactor-Trolly owend by him.

Explanation :— The expression "Bonafied agriculturist" shall have the meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 अप्रैल 2008

क्रमांक/1162/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुरोध के अन्तर्गत (1) में उल्लेखित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की वजह से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को राजस्व के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सिंगनवाही प. ह. नं. 16	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायपुर संभाग (छ. ग.)	पुल निर्माण

नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

